



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-03092026-275965
CG-RJ-E-03092026-275965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4643]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4643]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4830(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में “नाथद्वारा-देवगढ़ मदारिया (82.542 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ और राजसमंद, जिला-राजसमंद, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल लाईन परियोजना नाथद्वारा - देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण।					
जिले का नाम :		राजसमंद			
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	सर्वे / खसरा संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	देवगढ़	कुआथल	निजी भूमि	2534	0.0057
2	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2535	0.0300
3	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2536	0.2557
4	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2538	0.0071
5	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2539	0.2180
6	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2541	0.2159
7	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2677/2580	0.1207
8	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2582	0.0187
9	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2584	0.0316
10	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2585	0.0697
11	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2586	0.0055
12	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2697/2588	0.0407
13	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2699/2625	0.0565
14	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2626	0.0017
15	देवगढ़	कुवाथल	निजी भूमि	2707/2627	0.0227
16	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2537	0.0800
17	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2662/2578	0.1415

18	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2579	0.1200
19	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2583	0.0600
20	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2587	0.0053
21	देवगढ़	कुवाथल	सरकारीभूमि	2590	0.0056
			कुल योग		1.5126
1	राजसमन्द	एमडी	निजी भूमि	1063	0.0035
2	राजसमन्द	एमडी	निजी भूमि	1835/1059	0.0081
3.	राजसमन्द	एमडी	निजी भूमि	1839/1060	0.0115
			कुल योग		0.0231
1	राजसमन्द	नोगामा	निजी भूमि	1953/374	0.0120
			कुल योग		0.0120

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 31st August, 2026

S.O. 4830(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **Nathdwara – Devgarh Madariya Gauge Conversion Project (82.542 Km)** in District Rajsamand in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer Deogarh and Rajsamand, District Rajsamand, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Nathdwara - Devgarh Madariya Gauge Conversion Project in the state of Rajasthan.					
Name of District:		Rajsamand			
Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of the village	Type of Land	Survey No. / Khasara No.	Area to be Acquired (in Hectare)
1	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2534	0.0057
2	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2535	0.0300
3	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2536	0.2557
4	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2538	0.0071
5	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2539	0.2180
6	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2541	0.2159
7	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2677/2580	0.1207
8	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2582	0.0187
9	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2584	0.0316
10	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2585	0.0697
11	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2586	0.0055
12	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2697/2588	0.0407
13	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2699/2625	0.0565
14	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2626	0.0017
15	Deogarh	Kuwathal	Pvt. Land	2707/2627	0.0227
16	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2537	0.0800
17	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2662/2578	0.1415
18	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2579	0.1200
19	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2583	0.0600
20	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2587	0.0053
21	Deogarh	Kuwathal	Govt. Land	2590	0.0056
			TOTAL		1.5126
1	Rajsamand	Emdi	Pvt. Land	1063	0.0035
2	Rajsamand	Emdi	Pvt. Land	1835/1059	0.0081
3	Rajsamand	Emdi	Pvt. Land	1839/1060	0.0115
			TOTAL		0.0231
1	Rajsamand	Nogama	Pvt. Land	1953/374	0.0120
			TOTAL		0.0120

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-26]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)